[illegible]

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी— सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 08/2025 सीसीएमएस नम्बर— 2025/21

1. फूलचन्द पुत्र रामकरण उम्र 80 वर्ष जाति जाट निवासी मोहनपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.............वादी

बनाम

1. कमल सिंह पुत्र लखीराम उम्र 55 साल जाति जाट निवासी मोहनपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. अंकित कुमार पुत्र रतन सिंह जाति जाट निवासी मोहनपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
3. अमित कुमार पुत्र रतन सिंह जाति जाट निवासी मोहनपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
4. अनिता पत्नी रतन सिंह जाति जाट निवासी मोहनपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
5. हरिसिंह पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी मोहनपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
6. केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
7. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा सागा जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज

.............प्रतिवादीगण

दावा बाबत:— खाता विभाजन एवं नाम दुरूस्ती

—निर्णय— दिनांक— 18/6/25

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:—

1. यह कि वाके ग्राम मोहनपुरा तहसील बुहाना जिला [illegible] स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075— 2078 के खाता संख्या 24 के ख0 न0 1 [illegible] हैक्टर ख0 न0 165 रकबा 1.10 हैक्टर, ख0 न0 17 रकबा 0.07 [illegible] ख0 न0 88 रकबा 5.40 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा [illegible] 1/3 हिस्सा भूमि [illegible] खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड व कब्जे काश्त है [illegible] भूमि में प्रार्थी का [illegible] दर्ज कर रखा है जो कि गलत दर्ज है तथा दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/वादी का वास्तविक नाम फूलचन्द है जो सही व सत्य है। प्रार्थी/वादी के समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी/वादी का नाम फूलचन्द ही दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:19:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

2. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी बटवारा कर रखा हैं। उसी अनुसार अपने अपने हिस्से पर कब्जे काश्त हैं।

3. यह कि वादी अपनी भूमि का सुधार करना चाहता है। जिसके लिए वादी को खाता विभाजन की आवश्यकता हुई। वादी ने प्रतिवादीगण को सहमति से विभाजन करने को कहा कि हम खाता विभाजन के लिए तैयार नही है। यदि खाता विभाजन करवाओगें तो हम कुछ न कुछ उल्टा सीधा काम तुम्हारे खिलाफ करेंगे तथा वादी को खाता विभाजन नहीं करने की सलाह दी।

4. यह कि वादी ने भूमि खातेदारी को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया हैं खातेदार रतन सिंह पुत्र लखीराम फौत हो चुका है। इसलिए उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 को पक्षकार बनाया हैं तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 ने प्रतिवादी संख्या 6 व प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रतिवादी संख्या 7 से ऋण ले रखा है इसलिए वादी ने उन्हे पक्षकार बनाया हैं।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि वाके ग्राम मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075– 2078 के खाता संख्या 24 के ख0 न0 1 रकबा 0.27 हैक्टर ख0 न0 165 रकबा 1.10 हैक्टर, ख0 न0 17 रकबा 0.07 हैक्टर ख0 न0 18 रकबा 1.75 हैक्टर ख0 न0 68 रकबा 5.40 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 8.59 हैक्टर भूमि में वादी 1/3 हिस्सा भूमि का रिकार्डेड खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड व कब्जे काश्त हैं तथा उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम फूलाराम पुत्र रामकरण के स्थान पर फूलचन्द पुत्र रामकरण दर्ज किया जावें। खाता विभाजन कब्जे काश्त के अनुसार किया जाकर अलग से लगान राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की और से श्री रजनीश एडवोकेट द्वारा वकालतानामा व इकबाली जवाब व प्रतिदावा दिनांक 17.02.2025 को पेश किया गया। तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 17.02.2025 को लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.02.2025 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 72 दिनांक 25.02.2025 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1189 दिनांक 24.04.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नहीं कि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:19:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिदावा निम्न प्रकार रहा कि :–

1. यह कि वाके ग्राम मनोहरपुरा तहसील बुहाना जि[illegible] झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075– 2078 के खाता संख्या 24 के ख0 न0 1 रकबा 0.27 हैक्टर ख0 न0 165 रकबा 1.10 हैक्टर, ख0 न0 17 रकबा 0.07 हैक्टर ख0 न0 18 रकबा 1.75 हैक्टर ख0 न0 68 रकबा 5.40 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 8.59 हैक्टर भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 का

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/3 हिस्सा भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड व कब्जे काश्त है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम मनोहरपुरा स्थित भूमि हाल खाता संख्या 24 में वादी व प्रतिवादीगण का के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–::आदेश::–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके वाके ग्राम मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075– 2078 के खाता संख्या 24 के ख0 न0 1 रकबा 0.27 हैक्टर ख0 न0 165 रकबा 1.10 हैक्टर, ख0 न0 17 रकबा 0.07 हैक्टर ख0 न0 18 रकबा 1.75 हैक्टर ख0 न0 68 रकबा 5.40 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 8.59 हैक्टर भूमि में वादी का नाम फूलाराम पुत्र रामकरण के स्थान पर फूलचन्द पुत्र रामकरण दर्ज किया जावें। तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–7" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन-प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–7" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–7" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनू)
(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 18/6/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनू)
(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:19:46 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 06/2025 जीसीएमएस नम्बर – 2025/21

फुलचन्द बनाम कमल सिंह आदि

दावा बाबत– खाता विभाजन व नाम दुरूस्ती

–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री राकेश अहलावत एडवोकेट** की एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 की ओर से श्री रजनीश एड की उपस्थित में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को सुमन देवी II **उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके वाके ग्राम मनोहरपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075– 2078 के खाता संख्या 24 के ख0 न0 1 रकबा 0.27 हैक्टर ख0 न0 165 रकबा 1.10 हैक्टर, ख0 न0 17 रकबा 0.07 हैक्टर ख0 न0 18 रकबा 1.75 हैक्टर ख0 न0 68 रकबा 5.40 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 8.59 हैक्टर भूमि में वादी का नाम फूलाराम पुत्र रामकरण के स्थान पर फूलचन्द पुत्र रामकरण दर्ज किया जावें। तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–7" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–7" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–7" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18/6/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनू)

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:19:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)